—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :—

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :— 66/2023

उनवान

1. कान्ता पुत्री श्रवण
2. चन्द्रप्रकाश पुत्र श्रवण
3. राकेश पुत्र श्रवण
4. राजेश पुत्र श्रवण समस्त जति जाट निवासी ग्राम दिलवाडा, नसीराबाद

—— प्रार्थीगण :— जरियें अधिवक्ता श्री हीरालाल माली

बनाम

1. कमलेश
2. सुनिता पि. गजमल
3. सरोज पत्नी गजमल
4. सोनू पुत्री गजमल
5. जीवण पुत्र धन्ना समस्त जाति जाट निवासी ग्राम दिलवाडा, नसीराबाद
6. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— अप्रार्थीगण :— 1 से 5 जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत
6 जरियें राज. पेरोकार

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला-अजमेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

—: आदेश :— दिनांक :— 20.11.24

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने उक्त आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बारापत्थर में स्थित आराजी जमाबंदी सम्वत् 2067 से 2070 में खाता संख्या 169/144 किता 13 रकबा 2.064 में मूल खातेदार सायरी पत्नी धन्ना, जीवण पि. धन्ना 3/4 हि., सरोज पत्नी गजमल, सुनिता, कमलेश, सोनू पि. गजमल 1/4 हि. के नाम दर्ज थी। नामान्तकरण संख्या 251 दिनांक 06.03.2013 को श्रवण की विरासत प्रार्थीगण के नाम दर्ज की गयी। जमाबंदी सम्वत् 2071 से 2074 में उक्त आराजी बिना प्रार्थीगण की सहमती के अलग–अलग खातों में दर्ज कर दी गयी। अप्रार्थीगण ने राजमार्ग की भूमि का मुआवजा लेने का बहाना बनाकर प्रार्थीगण से खाली कागज पर हस्ताक्षर करवा लिये। प्रार्थीगण को उक्त आराजी के विभाजन की कोई जानकारी नही है। आराजी मुतनाजा के त्रुटिपूर्ण इन्द्राज के कारण अप्रार्थीगण आराजी मुतनाजा पर दखलदांजी कर रहे है व अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः अप्रार्थीगण को मूल वाद के निस्तारण तक पाबंद किया जावे की आराजी मुतनाजा पर प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखल नही करे भूमि का अन्यत्र हस्तांतरण/बैचान नही करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण [illegible] नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 से 5 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि [illegible] ने तहसीलदार नसीराबाद के समक्ष दिनांक 04.07.2017 को [illegible] मुतनाजा के सहमती से विभाजन हेतु अपने हस्ताक्षर किये व सहमती बटवारा फोटोयुक्त तैयार का [illegible]स्थित के

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 15:06:56 IST
Reason: SelfAttested

—2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

हस्ताक्षर किये गये। उक्त विभाजन को किसी भी न्यायालय में चुनौती नही दी है। विभाजन अनुसार हाल राजस्व अभिलेख में भूमि का इन्द्राज किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा 5 वर्ष पश्चात उक्त प्रार्थना पत्र जवाबकर्ता को हेरान व परेशान करने के लिये पेश किया है। अतः प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किया जावे।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया। प्रकरण में निम्नानुसार आदेश पारित किये जाते है।

प्रथम दृष्टया मामला :–

प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम बारापत्थर में स्थित आराजी जमाबंदी सम्वत् 2067 से 2070 में खाता संख्या 169/144 किता 13 रकबा 2.064 में मूल खातेदार सायरी पत्नी धन्ना, जीवण पि. धन्ना 3/4 हि., सरोज पत्नी गजमल, सुनिता, कमलेश, सोनू पि. गजमल 1/4 हि. के नाम दर्ज थी। जमाबंदी सम्वत् 2071 से 2074 में उक्त आराजी बिना प्रार्थीगण की सहमती के अलग–अलग खातों में दर्ज कर दी गयी। अप्रार्थीगण ने राजमार्ग की भूमि का मुआवजा लेने का बहाना बनाकर प्रार्थीगण से खाली कागज पर हस्ताक्षर करवा लिये। प्रार्थीगण को उक्त आराजी के विभाजन की कोई जानकारी नही है। अप्रार्थीगण द्वारा अपने जवाब के साथ प्रस्तुत नामान्तकरण संख्या 391 दिनांक 18.07.2017 के अनुसार आराजी मुतनाजा पूर्व में प्रार्थी व अप्रार्थी पक्ष कर संयुक्त खातेदारी में स्थित थी। उक्त नामान्तकरण से जरियें विभाजन भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के नाम अलग–अलग खातों में दर्ज की गयी। उक्त नामान्तकरण में खसरा नम्बर 441 का विभाजन का नक्शा भी बना हुआ है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र दिनांक 26.05.23 को पेश किया है तथा उक्त नामान्तकरण वर्ष 2017 में ही हो गया था। प्रार्थीगण ने तहसीलदार नसीराबाद द्वारा पारित विभाजन आदेश के विरूद्व सक्षम न्यायालय मं चाराजोही नही की है। प्रार्थीगण का कथन है कि उनके हस्ताक्षर जालसाजी से करवाये गये है। किन्तु जालसाजी के तथ्यों का निर्धारण हाजा न्यायालय द्वारा नही किया जा सकता हैं। आराजी मुतनाजा तहसीलदार नसीराबाद के सहमती विभाजन के आदेश से अलग–अलग खातों में दर्ज हुयी है। शेष तथ्य मूल वाद में साक्ष्य आदि से तय होगे। प्रकरण प्रथम दृष्टया विरूद्व प्रार्थीगण के तय किया जाता है।

2. <u>सुविधा का संतुलन</u> :– न्यायहित में व्यादेश मंजूर करने पर प्रभावित पक्ष को होने वाली क्षति को ध्यान में रखते हुये युक्ति युक्त विवेक का प्रयोग किया जाकर ही सुविधा का संतुलन का निर्णय किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थीगण सिद्व नही होता है। तद्नुसार सुविधा का संतुलन भी बहक प्रार्थीगण सिद्व नही होता है।

3. <u>अपूरणीय क्षति पारित होने की संभावना</u> :– विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि जब अस्थायी निषेघाज्ञा चाही गयी हो तो यह साबित करना होगा कि यदि व्यादेश नही दिया गया तो उसे अपूरणीय क्षति होगी। प्रस्तुत प्रकरण में आराजी मुतनाजा प्रार्थी व अप्रार्थीगण के नाम अलग–अलग खातों में दर्ज है। उक्त आराजी विभाजतन से दर्ज हुयी है। अतः ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाना न्यायोचित नही है। अपूरणीय क्षति की संभावना प्रार्थीगण के पक्ष में नही पायी जाती है।

आदेश :– अतः ग्राम बारापत्थर स्थित आराजी पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 15:06:56 IST
Reason: SelfAttested

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद